

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II-खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग, भवन

**अधिसूचना सं० 36/2015-2020**

नई दिल्ली, दिनांक: 17 जनवरी, 2017

**विषय:- आईटीसी (एचएस), 2017-अनुसूची-1 (आयात नीति) की अधिसूचना।**

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा संलग्न 'आयात मदों के भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली), 2017 [आईटीसी (एचएस), 2017] अधिसूचित करती है।

2. आईटीसी (एचएस), 2017 में "अनुसूची-1-आयात नीति" है। इस अनुसूची की प्रत्येक मद के लिए पूरी की जाने वाली नीतिगत शर्तों, यदि कोई हो के साथ मौजूदा आयात नीति दर्शायी गई है। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट [www.dgft.gov.in](http://www.dgft.gov.in) पर उपलब्ध है।

3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-1 आयात नीति अधिसूचित की जाती है।

(ए० के० भल्ला)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई मेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा० सं० 01/89/180/11/ए एम 17/ पीसी-2क से जारी)